[2019] 8 एस. सी. आर. 912

सुओ मोटू याचिका (सी. आर. एल.) नहीं। 1 2019 का

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

27 मार्च, 2019

[रोहिंटन फाली नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

अदालत की अवमानना-'एमएन', एक वकील ने अवमानना की

न्यायालय का-दिनांक 12.03.2019 के निर्णय द्वारा, जैसा कि [2019] 5 एससीआर 313 में बताया गया है, न्यायालय ने उक्त अधिवक्ता को अदालत के सामने अवमानना करने के लिए लगाए जाने वाले दंड के बारे में नोटिस जारी किया-प्रश्न में अधिवक्ता ने एक हलफनामे के माध्यम से माफी मांगी-आयोजितः इस तथ्य को देखते हुए कि 'एम. एन.' अब

वचन दिया कि वह फिर कभी किसी न्यायाधीश को डराने का प्रयास नहीं करेगा

सर्वोच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय में से कोई भी, वह है

तीन साल के कारावास की सजा, हालांकि, वही है

उनके वचन पर विचार करते हुए निलंबित कर दिया गया-इसके अलावा 'एम. एन.' को एक वर्ष की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक वकील के रूप में अभ्यास करने से रोक दिया गया-न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971। 14 (1) & (2) .

न्यायालय की अवमानना-उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने एक अधिवक्ता 'एम. एन.' को न्यायालय के समक्ष अवमानना करने के लिए दिनांक 12.03.2019 के निर्णय द्वारा दोषी ठहराया, जैसा कि [2019] 5 एस. सी. आर. 313 में बताया गया है-उच्चतम न्यायालय की उक्त पीठ के खिलाफ दो शिकायतें दायर की गईं-एक शिकायत दिनांक 20.03.2019 भारतीय द्वारा दायर की गई थी।

बार एसोसिएशन 'एक अधिवक्ता' वी. के. 'के माध्यम से दिनांक 12.03.2019 पर निर्णय पारित करने के लिए-दूसरी शिकायत दिनांक 19.03.2019 दर्ज की गई थी।

बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी दिनांकित 23.03.2019 पत्र द्वारा आरोप लगाया कि दोनों शिकायतें काफी हद तक समान थीं जो प्रथम दृष्टया दर्शाती हैं कि 'वीके' और 'आरके' मिलकर काम कर रहे थे-यह आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ता 'एन' (भारतीय बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष), 'वीके' और उनके सहयोगियों का तुच्छ आरोप लगाने का इतिहास रहा है

न्यायाधीशों के खिलाफ-साथ ही 'एम. एन.' और 'एन.' दोनों उच्च न्यायालय में अवमानना मामलों सहित विभिन्न मामलों में एक-दूसरे की ओर से पेश हुए हैं-इसलिए, दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर हैं-आगे यह आरोप लगाया गया कि ये शिकायतें उच्च न्यायालय की उक्त पीठ के बाद की गई थीं।

उच्चतम न्यायालय ने 'एम. एन.' को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया और शिकायतों का उद्देश्य न्यायालय को डराना है-आयोजितः दायर की गई दो शिकायतों को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि उच्चतम न्यायालय की पीठ के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाए गए थे-इसलिए, 'वी. के.', 'आर. के.', 'एन.' और 'एम. एन.' को अवमानना का नोटिस जारी किया गया-इसके अलावा, पीठ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए-मामला

अवमानना मामले की सुनवाई और निर्णय के लिए उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित किया गया।

न्यायिक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय वकील अभियान

और सुधार और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। [2019]

5 एस. सी. आर. 313 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 5 एससीआर 313

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः सुओ मोटू अवमानना याचिका

(सीआरएल.) 2019 का नंबर 1।

अदालत के प्रस्ताव द्वारा

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आदेश

1. राष्ट्रीय वकीलों में 12 मार्च, 2019 के एक निर्णय द्वारा

न्यायिक पारदर्शिता और सुधारों और अन्य के लिए अभियान। बनाम संघ

भारत और ओआरएस। (रिट याचिका (सी) 2019 की सं. 191), इस पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अधिवक्ता श्री मैथ्यूज नेदुमपारा ने अवमानना की है। न्यायालय का चेहरा। हालाँकि, न्याय के हित में, श्री नेदुमपारा को अदालत के सामने अवमानना करने के लिए उन पर लगाए जाने वाले दंड के बारे में नोटिस जारी किया गया था।

2. श्री नेदुमपारा आज हमारे सामने अकेले और अकेले उपस्थित हुए।

अधिवक्ता श्री सुभाष झा के माध्यम से।

3. सुबह के सत्र में श्री नेदुमपारा ने यह देखने की पूरी कोशिश की कि

इस पीठ ने मामले की सुनवाई नहीं की। उन्होंने हमें सूचित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को इस पीठ से किसी अन्य पीठ में स्थानांतरित करने के लिए एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे 12 मार्च, 2019 के हमारे आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लैटिन सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि न्याय होते हुए देखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रसिद्ध रेक्स बनाम ससेक्स न्यायाधीशों के मामले का भी उल्लेख किया और आम तौर पर इस तथ्य का उल्लेख किया कि न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को एक ही न्यायालय में वकालत करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। बाद में उन्होंने पीठ से [2019] 8 एस. सी. आर. का "पास ओवर" देने के लिए कहा।

उनका मामला इसलिए था क्योंकि उनके वकील श्री सुभाष झा मुंबई से जा रहे थे। पीठ ने सहमति व्यक्त की और मामले को दोपहर 2 बजे रखा।

4. दोपहर 2 बजे, श्री झा आए और हमें संबोधित किया, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 479 के साथ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 (1) और (2) की ओर इशारा किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के

अन्य प्रस्तुतियाँ जो अदालत ने उन्हें याद दिलाईं, वे इस मामले के सजा के पहलू पर नहीं थीं। हालाँकि, उन्होंने बहस जारी रखी, जैसे कि वे खुले न्यायालय में एक समीक्षा याचिका पर बहस कर रहे हों। जब श्री झा बहस कर रहे थे, श्री नेदुमपारा ने फिर से हस्तक्षेप किया और एक लंबी बहस की कि कैसे उन्होंने वास्तव में न्यायमूर्ति वज़ीफदार का प्रतिरूपण नहीं किया था, जो कि 12 मार्च, 2019 के हमारे फैसले में उल्लिखित कई घटनाओं में से एक है। इस स्तर पर, श्री नेदुमपारा ने हमारी उपस्थिति में अदालत में उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक हलफनामे के माध्यम से इस अदालत से माफी मांगी। शपथ पत्र इस प्रकार है:

" ए. एफ. एफ. आई. डी. एविट

आई, मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, अधिवक्ता, आयु 60 वर्ष, भारतीय

हार्बर हाइट्स, "डब्ल्यू" विंग, 12-एफ, 12 वीं मंजिल, ससून डॉक्स, कोलाबा, मुंबई-400005 में रहने वाले निवासी, जो अब दिल्ली में हैं, इस प्रकार करते हैं।

शपथ लें और निम्नानुसार कहें:

1. इस माननीय न्यायालय की एक पीठ जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति शामिल हैं

रोहिंटन एफ. नरीमन और माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत सरन,

12 मार्च, 2019 के निर्णय और आदेश ने मुझे अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया और सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।

2. मैंने श्री फली एस. नरीमन के नाम का उल्लेख किया मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि महान श्री फली नरीमन भी

इस दृष्टिकोण से कि एक वकील की वरिष्ठता को गिना जाना चाहिए

उनके नामांकन की तारीख से और कुछ नहीं। लेकिन, मुझे गलत समझा गया। न्यायिक पारदर्शिता और सुधारों के लिए राष्ट्रीय वकीलों के अभियान के कुछ पदाधिकारियों के साथ मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह घोषणा करने के लिए रिट याचिका दायर की गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 6 का स्पष्टीकरण अमान्य है क्योंकि यह बताता है कि "न्यायालय" शब्द का अर्थ पूरे न्यायालय से नहीं है, बल्कि उस विशेष न्यायालय से है जिसमें एक वकील का रिश्तेदार एक न्यायाधीश है। मैंने उक्त याचिका केवल आई. एन. आर. ई. के संबंध में कई वकीलों की चिंता को उठाने के लिए दायर की:

एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

उसी न्यायालय में वकालत करने वाले निकटतम रिश्तेदार जहां उनका रिश्तेदार न्यायाधीश है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता चलता है कि श्री फली नरीमन का चयन करना मेरी गलती थी। उक्त याचिका का प्रत्यर्थी। मुझे इसका भी खेद है; कोई भी शब्द मेरे पश्चाताप और अफसोस को पर्याप्त रूप से समझा नहीं सकता है। पूर्वावलोकन में मुझे यह भी एहसास होता है कि मैंने इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले के संचालन के दौरान भी गलती की है और मैं शायद 35 वर्षों के लिए बार में एक वकील के रूप में मुझसे जो उम्मीद की जाती है, उसे पूरा नहीं करता।

60 वर्ष की आयु को पार किया। 12 मार्च, 2019 के फैसले में मेरे खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप पूरी तरह से गलत हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से काले और सफेद हैं, और दिन और रात के रूप में निर्विवाद हैं, यह कहते हुए मैं खेद व्यक्त करता हूं, अपना खेद व्यक्त करता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं।

3. ऊपर मेरे द्वारा दी गई माफी स्वीकार की जाए और मुझे अवमानना से मुक्त किया जा सकता है।

दिल्ली में ली शपथ

एसडी /

(मैथ्यूज जे. नेदुमपारा) "

मार्च, 2019 का यह 27 वां दिन

हमने घटनाओं के आलोक में दायर किए गए हलफनामे पर विचार किया है

जो बंबई उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय में भी हुए हैं।

5. इस तथ्य को देखते हुए कि श्री नेदुमपारा अब यह कार्य करते हैं

अदालत ने कहा कि वह फिर कभी इस अदालत या बॉम्बे उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को डराने का प्रयास नहीं करेगा, हम श्री नेदुमपारा को तीन महीने के कारावास की सजा देते हैं, जो कि केवल तभी निलंबित है जब श्री नेदुमपारा भविष्य में आज हमें दिए गए वचन का पालन करना जारी रखते हैं। इसके अलावा, श्री नेदुमपारा को आज से एक वर्ष की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के रूप में वकालत करने से रोक दिया गया है। यह अदालत के सामने की गई अवमानना के सजा के पहलू का निपटारा करता है।

6. न्यायाधीशों के कार्यालय द्वारा प्राप्त दिनांक 23.03.2019 का एक पत्र

इस पीठ का 25.03.2019 पर एक पत्र है जो बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बॉम्बे निगमित विधि सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाता है। उपरोक्त पत्र

कहते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सोशल मीडिया में हमें निम्नलिखित प्रतियां मिली हैंः

माननीय न्यायमूर्ति आर. एफ. के खिलाफ कथित रूप से की गई शिकायतें।

नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

भारत का न्यायालय।

1. महामहिम के सचिवालय में एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत

' इंडियन बार एसोसिएशन 'दिनांक 20 मार्च, 2019 को शिकायत No.PRSEC/E/2019/05351 ("पहली शिकायत") के माध्यम से माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ अधिवक्ता श्री विजय कुर्ले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति विनीत सरन ने अनुमति मांगी

विद्वान न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाना और न्यायिक कार्य को वापस लेना

12 मार्च, 2019 को निर्णय पारित करने के लिए उनसे

श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को अपराध करने के लिए दोषी ठहराना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना। यह हो चुका है

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित

और इसकी एक प्रति माननीय आपके प्रभु के पास भेजी गई है।

मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय। 2. 19 मार्च, 2019 को आपके साथ की गई एक शिकायत

महामहिम का सचिवालय पंजीकरण के लिए शिकायत कर रहा है

No.PRSEC/E/2019/05242 ("दूसरी शिकायत") श्री.

अधिकार सुरक्षा परिषद, इसी तरह के निर्देश/अनुमति मांग रही है माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय के विरुद्ध

श्री न्यायमूर्ति विनीत सरन को एक अन्य आदेश पारित करने के लिए

लॉर्डशिप भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश। इन कथित शिकायतों की प्रतियां जिन्हें प्रसारित किया गया है

सोशल मीडिया में अनुलग्नक "1" और अनुलग्नक "2" के रूप में संलग्न हैं।

7. इंडियन बार द्वारा दायर शिकायत में की गई प्रार्थनाएँ

अनुलेखन इस प्रकार हैः

" (i) भारतीय संविधान की धारा 218,201,2191,192,193,466,471,474 के साथ 120 (बी) और 34 के तहत कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति के खिलाफ दंड संहिता विनीत सरन को संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की जानबूझकर अवहेलना, अवज्ञा और गलत व्याख्या करके आदेश पारित करने के लिए

अधिवक्ताओं को आतंकित करने के इरादे से माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

((ii) सभी कार्यों को वापस लेने के लिए तत्काल निर्देश पारित किया जाए। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन

'इन-हाउस-प्रक्रिया' के अनुसार।

((ग) न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन को निर्देश दिए जाएँ और

न्यायमूर्ति विनीत सरन निर्देश का पालन करते हुए तुरंत इस्तीफा देंगे

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य मामलों की संविधान पीठ। 1991 (3) एस. सी. सी. 655 असमर्थता के रूप में, सत्ता पर धोखाधड़ी और

न्याय प्रशासन के खिलाफ अपराध प्रत्यक्ष रूप से साबित होते हैं।

या

(iv) आवेदक को धारा 218,201,2191,192,193,466,471 के तहत न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए। 474 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और 34 के साथ पढ़ें।

v) अवमानना के तहत सुओ मोटू कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाए

री में निर्धारित कानून के अनुसार न्यायालय अधिनियमः सी. एस. कर्णन का मामला (2017)

7 एस. सी. सी. 1, न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू का मामला और रवीन्द्र नाथ में सिंह बनाम राजेश रंजन (2010) 6 एस. सी. सी. 417 जानबूझकर उपेक्षा के लिए

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनः क) विनय चंद्र मिश्रा का मामला ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2348 (पूर्ण पीठ)

ख) डॉ. एल. पी. मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 379 (पूर्ण पीठ)

ग) लैला डेविड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2009) 10 एस. सी. सी. 337

घ) निधि कैम और अन्न। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2017) 4 एससीसी 1

ई) द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। प्रेम भारी इंजीनियरिंग

वर्क्स एयर 1997 एससी 2477 च) सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम मुख्य न्यायाधीश एस. तेजा सिंह, 1954 एससीआर

454

छ) मोहम्मद। ज़हीर खान बनाम विजय सिंह और अन्य 1992 ए. आई. आर. एस. सी. 642। ”

8. मानवाधिकार द्वारा दायर शिकायत में की गई प्रार्थनाएँ

रीति परिषद इस प्रकार हैः

" i) भारतीय दंड संहिता की धारा 218,201,219,191,192,193,466,471,474 के साथ 120 (बी) और 34 के तहत कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के खिलाफ

[2019] 8 एस. सी. आर. द्वारा निर्धारित कानून की जानबूझकर अवज्ञा करके आदेश पारित करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त पति की मदद करने के इरादे से माननीय सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालय में धोखाधड़ी करने के गंभीर मामले में।

(ii) सभी कार्यों को वापस लेने के लिए तत्काल निर्देश पारित किया जाए।

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन

' इन-हाउस-प्रोसीजर '।

(iii) न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति को निर्देश दिए जाएँ।

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (यूओआई) में संविधान पीठ और ओआरएस। 1991 (3) एस. सी. सी. 655 असमर्थता के रूप में, सत्ता पर धोखाधड़ी और

न्याय प्रशासन के खिलाफ अपराध प्रत्यक्ष रूप से साबित होते हैं।

या

(iv) आवेदक को न्यायमूर्ति रोहिंटन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए।

फली नरीमन धारा 218,201,2191,192,193,466,471 के तहत,

474 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और 34 के साथ पढ़ें। (v) अवमानना के तहत सुओ मोटू कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाए

री में निर्धारित कानून के अनुसार न्यायालय अधिनियमः सी. एस. कर्णन का मामला (2017) 7 एस. सी. सी. 1, न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू का मामला और रवींद्रनाथ में

सिंह बनाम राजेश रंजन (2010) 6 एस. सी. सी. 417 जानबूझकर उपेक्षा के लिए

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनः - पी. सी

पुरुषोत्तम रेड्डियार बनाम एस। पेरुमल 1972 (1) एस. सी. सी. 9 (पूर्ण)

बेंच), साइम्ड ओवरसीज इंक बनाम। बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड और ओआरएस (2016) 3 एससीसी 70, सुरेंद्र गुप्ता बनाम। भगवान देवी (श्रीमती) और एक अन्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 657, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

बनाम प्रेम हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य आकाशवाणी

1997 एससी 2477, गोवा राज्य बनाम जोस मारिया अल्बर्ट वेल्स (2018) 11 एससीसी 659, इकबाल सिंह मारवाह और अन्र। बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्र। (2005) 4 एस. सी. सी. 370 (5-

न्यायाधीश पीठ)। आर. करुप्पन (2001) 5 एस. सी. सी. 289 (पूर्ण पीठ) के खिलाफ रे सुओ मोटू कार्यवाही में,

मारिया मार्गारिडा सिक्वेरा फर्नांडीस और ओआरएस। बनाम इरास्मो जैक

डी सेक्वीरा (मृत) एल. आर. ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1727 के माध्यम से।

9. यह दोनों प्रार्थनाओं की तुलना में देखा जा सकता है

यह दर्शाता है कि वे काफी हद तक समान हैं जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है

श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान पठान अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा, शिकायतें 20 मार्च, 2019 और 19 मार्च, 2019 की हैं। उक्त पत्र का पैरा 3,14 महत्वपूर्ण है और इस प्रकार हैवीएसः

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

श्री नीलेश ओझा और उनके सहयोगियों, श्री मैथ्यूज नेदुमपारा के विभिन्न कृत्य अवमानकर्ताओं में से एक के लिए पेश हुए। इसी तरह, श्री मैथ्यूज नेदुमपारा द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. जे. कथावाला के खिलाफ दायर 2018 की रिट याचिका (एल) No.1180 में श्री नीलेश ओझा ने श्री मैथ्यूज नेदुमपारा की ओर से न्यायिक मानहानि और मुआवजे की मांग की। जिस समय पर ये शिकायतें माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति की पीठ के बाद की गई हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन ने श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और भारतीय बार एसोसिएशन की शिकायत की सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि ये शिकायतें अदालत को डराने के लिए की गई हैं

श्री मैथ्यूज नेदुमपारा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए। यह ध्यान देने योग्य है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़े सभी तीन बार संघों की स्थायी/प्रबंध समितियों-बॉम्बे बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 12 मार्च, 2019 के फैसले की सराहना और स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किए।

भारत से।

उक्त प्रस्तावों की प्रतियां यहाँ संलग्न और चिह्नित हैं।

अनुलग्नक "13", "14" और "15" के रूप में।

10. हम उपरोक्त दिनांकित 23.03.2019 पत्र को वर्तमान के साथ जोड़ते हैं।

आदेश दें।

11. दायर की गई दो शिकायतों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस पीठ के सदस्यों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाए गए हैं। इसलिए हम (1) श्री विजय कुर्ले; (2) श्री राशिद खान पठान; (3) श्री नीलेश ओझा और (4) श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को यह समझाने के लिए अवमानना का नोटिस जारी करते हैं कि उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जो आज से दो सप्ताह के भीतर वापस की जा सकती है।

12. इस पीठ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक उपयुक्त पीठ का गठन करेंगे - इस अवमानना मामले को सुनें और फैसला करें।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान आदेश के लिए दिनांकित 23.03.2019 का संलग्न पत्र

बॉम्बे बार

द बॉम्बी इनकॉर्पोरेटेड

कानून समाज

समाजीकरण

कमरा संख्या 57, तीसरी मंजिल, उच्च न्यायालय,

उच्च न्यायालय नई इमारत, उत्तर

विंग, बॉम्बे-400032

डॉ. एम. केन मार्ग, बूमबे-400032

23

आरडी मार्च 2019

को,

(1) भारत के माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, और

नई दिल्ली-110004

(2) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश,

तिलक मार्ग, नई दिल्ली-I 1020 I

(3) बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश,

बॉम्बे उच्च न्यायालय,

किला, मुंबई-400032

रीः की गई तुच्छ शिकायतों के प्रति तथ्यात्मक दृष्टिकोण

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय के विरुद्ध

श्री न्यायमूर्ति विनीत सरन, माननीय न्यायाधीश

((i) शिकायत सं। पी. आर. एस. ई. सी./ई/2019/05351। ((ii) शिकायत सं। पी. आर. एस. ई. सी./ई/2019/05242।

महामहिम और आपके प्रभुता,

बॉम्बे बार एसोसिएशन देश का सबसे पुराना बार एसोसिएशन है।

इसकी स्थापना वर्ष 1824 में 150 से अधिक वर्षों के दर्ज इतिहास के साथ की गई थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने इन वर्षों में लोगों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन की सुरक्षा। बॉम्बे बार

एसोसिएशन ने आपातकाल के विरोध में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और न्यायाधीशों को हटाने में न्यायपालिका पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विशेष रूप से आपातकाल के दौरान।

बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी सॉलिसिटरों का एक संगठन है।

मुंबई शहर को 1894 के इतिहास के साथ माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय से जोड़ा गया था। बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी ने पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन और रक्षा करने सहित कानूनी पेशे में बहुमूल्य योगदान दिया है।

हमें सोशल मीडिया में निम्नलिखित शिकायतों की प्रतियां मिली हैं

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति विनीत सरन के खिलाफ कथित रूप से मामला दर्ज किया गया।

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

1. एक 'इंडियन बार एसोसिएशन' द्वारा 20 मार्च 2019 को महामहिम के सचिवालय में की गई शिकायत जिसमें शिकायत संख्या। पी. आर. एस. ई. सी./ई./2019/0535 1 ("पहली शिकायत"), एक अधिवक्ता श्री विजय कुर्ले के माध्यम से, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों, माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन के खिलाफ। विद्वान न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगना और उनसे न्यायिक कार्य वापस लेना

एच.

श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हुए 1 मार्च 2019 को एक निर्णय पारित किया। यह भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया गया है और इसकी एक प्रति बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को दी गई है। 2. 19 मार्च 2019 को महामहिम के सचिवालय में पंजीकरण संख्या के लिए शिकायत दर्ज की गई। पी. आर. एस. ई. सी./ई./2019/05242 ("दूसरी शिकायत") श्री राशिद खान पठान द्वारा राष्ट्रीय

मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के सचिव ने एक अन्य मामले में एक और आदेश पारित करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन के खिलाफ इसी तरह के निर्देश/अनुमति की मांग की। यह महामहिम और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया गया है।

सोशल मीडिया में प्रसारित की गई इन कथित शिकायतों की प्रतियां अनुलग्नक "I" और अनुलग्नक "2" के रूप में संलग्न की गई हैं।

3. हम इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को आपके ध्यान में लाना चाहते हैंः

3.1 . पहली शिकायत में शिकायतकर्ता, इंडियन बार एसोसिएशन, न तो मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन है और न ही माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़ा बार एसोसिएशन है। हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि उक्त निकाय श्री नीलेश ओझा, अधिवक्ता और श्री विजय कुर्ले द्वारा बनाया गया एक स्व-सेवारत निकाय है और इसका उपयोग समग्र रूप से न्यायपालिका को डराने और विशेष रूप से माननीय के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध का निपटारा करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

3.2 . शिकायतकर्ता के कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीलेश ओझा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में पेश हुए थे जिसमें उनके मुवक्किल के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था। इमल! आदेश के बाद श्री नीलेश ओझा ने उनके खिलाफ विभिन्न अपमानजनक और अवमाननापूर्ण आरोप लगाए।

जिन व्यक्तियों ने साक्षात्कार दिए थे जिन्हें अपलोड किया गया था विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय बयान। श्री राशिद खान, दूसरी शिकायत में शिकायतकर्ता भी उन पक्षों में से एक थे जिन्होंने साक्षात्कार दिया और अपमानजनक [2019] 8 एस. सी. आर. बनाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बयान। बॉम्बे बार एसोसिएशन और अधिवक्ता '

एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़े दो मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन हैं, पहले ही श्री नीलेश ओझा, श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान सहित विभिन्न पक्षों के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना याचिका दायर कर चुके हैं।

महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से सहमति प्राप्त करना। द.

स्वीकार करने के लिए अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। उक्त अवमानना याचिका में, दूसरी शिकायत में शिकायतकर्ता श्री राशिद खान भी एक प्रतिवादी थे। 22 फरवरी 2017 के एक आदेश द्वारा, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने वीडियो और उसके प्रतिलेखों पर विचार करने के बाद कहा कि उक्त सामग्री अदालत को बदनाम करने का एक प्रयास था और गणना की कि 10 न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों द्वारा उक्त अवमानना याचिका में यह भी निर्देश दिया कि अपमानजनक वीडियो को बड़े पैमाने पर इंटरनेट से हटा दिया जाए और समान/समान वीडियो के प्रसार पर रोक लगा दी जाए। याचिका को स्वीकार कर लिया गया और श्री नीलेश ओझा, श्री विजय कुर्ले और श्री राशिद खान सहित विभिन्न प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किए गए कि उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि श्री नीलेश ओझा माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की धमकी दे रहे थे और इसलिए अवमानना याचिका न्यायपालिका की संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस मामले को 3 या अधिक न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका लंबित है। यहाँ संलग्न और अनुलग्नक "3" और "4" के रूप में चिह्नित दो बार संघों (प्रदर्शन के बिना) द्वारा दायर उक्त आपराधिक अवमानना याचिका (2017 की संख्या 3) की प्रतियाँ हैं और पारित आदेश हैं।

उसमें। यह ध्यान देने योग्य है कि इन अवमानना कार्यवाही में, श्री.

मैथ्यूज नेदुमपारा, अधिवक्ता उनमें से एक का बचाव करने के लिए उपस्थित हुए।

अवमानना करने वाले।

अवमानना याचिका में याचिकाकर्ताओं ने यह भी विस्तार से बताया है कि कैसे अतीत में श्री नीलेश ओझा ने वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और विभिन्न कार्यवाहियों में दर्ज उनके आचरण के बारे में भी बताया है।

20-17 की शुरुआत में, बॉम्बे बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने भी न्यायाधीशों पर इन अपमानजनक हमलों की निंदा करते हुए और बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश में पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किए, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ जहाँ उक्त प्रस्ताव पारित किया गया था

बॉम्बे बार एसोसिएशन को यहाँ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक "5" के रूप में चिह्नित किया गया है।

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

श्री नीलेश ओझा, श्री विजय कुर्ले और उनके सहयोगियों का न्यायाधीशों के खिलाफ तुच्छ आरोप लगाने का इतिहास रहा है, अगर उन्हें उन मामलों में अनुकूल आदेश नहीं मिलते हैं जिनमें वे पेश होते हैं। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के विभिन्न वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए हैं और "इंडियन बार एसोसिएशन" उनका मोर्चा है जो स्पष्ट रूप से एक स्व-सेवारत संघ के रूप में स्थापित है।

न्यायाधीशों और वकीलों के खिलाफ तुच्छ आरोप लगाना।

इन घृणित कृत्यों से संतुष्ट नहीं होने के कारण, भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा 2018 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला के खिलाफ एक परेशान करने वाला प्रतिनिधित्व/शिकायत संबोधित की गई थी, जिसमें उन्होंने विद्वान न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और

इसी तरह के आरोप लगाना और इसी तरह के निर्देश की मांग करना। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने 30 जून 2018 को एक पत्र के माध्यम से महामहिम को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें 'इन व्यक्तियों की कार्यप्रणाली', मौजूदा न्यायाधीशों और यहां तक कि उनके खिलाफ पेश होने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ आरोप लगाने के उनके व्यवस्थित प्रयास को उजागर किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. जे. कथावाला के खिलाफ शिकायत में, भारतीय बार एसोसिएशन ने झूठे आरोप लगाए थे कि विद्वान न्यायाधीश का कुछ अधिवक्ताओं के प्रति नरम रुख था और उन्होंने उक्त अधिवक्ताओं द्वारा संभाले गए मामलों की सी. बी. आई. जांच और लेखा परीक्षा की मांग की थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व में, यह बताया गया था कि उक्त वकीलों में से प्रत्येक अतीत में या तो श्री नीलेश ओझा के खिलाफ या श्री मैथ्यूज नेदुमपारा के खिलाफ पेश हुए थे और उनका नाम केवल उन्हें बदनाम करने के लिए लिया जा रहा था।

उक्त अधिवक्ताओं को उनके खिलाफ पेश होने से रोकें।

बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व की एक प्रति (बिना

प्रदर्शनी) को यहाँ अनुलग्नक "6" के रूप में संलग्न किया गया है।

श्री नीलेश ओझा ने इससे पहले 3 दिसंबर 2015 को महामहिम के सचिवालय में एक दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज की थी, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. के. मेनन के खिलाफ इस्तीफे और आपराधिक अभियोजन की मांग की गई थी, जिन्होंने श्री नीलेश ओझा के मुवक्किल के खिलाफ आदेश पारित किया था और श्री नीलेश ओझा के खिलाफ उनके खिलाफ उपस्थित अधिवक्ताओं के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने के लिए आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था। शिकायत को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह बिना किसी सत्यापन योग्य तथ्य के थी। माननीय न्यायमूर्ति ए. के. के खिलाफ दर्ज शिकायत की स्थिति और शिकायत की एक प्रति।

मेनन को यहाँ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक "7" के रूप में चिह्नित किया गया है। 22 जनवरी, 20 और 16 के आदेश की एक प्रति, जिसे माननीय श्री.

श्री नीलेश ओझा के खिलाफ न्यायमूर्ति ए. के. मेनन को यहाँ संलग्न किया गया है और यहाँ अनुलग्नक "8" के रूप में चिह्नित किया गया है।

श्री नीलेश ओझा ने अपने एक अन्य मुवक्किल श्री गोपाल शेट्टी (जो बॉम्बे बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया द्वारा दायर अवमानना याचिका में अवमानकों में से एक हैं) के माध्यम से विभिन्न अधिवक्ताओं के खिलाफ राज्य बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके (श्री ओझा) खिलाफ 2016 के बंबई उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या 471 में पेश हुए, जिस कार्यवाही के कारण आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

) . इसी तरह श्री गोपाल शेट्टी ने अपनी ओर से श्री नीलेश ओझा के साथ बॉम्बे के एक अन्य न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया था।

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एम. कनाडे (अब सेवानिवृत्त) होने के नाते उच्च न्यायालय ने मानहानि के मुआवजे के साथ अभियोजन की मांग करते हुए एक आपराधिक शिकायत दायर की थी। 500 एक पारित करने के लिए न्यायाधीश के खिलाफ करोड़

श्री शेटी के खिलाफ न्यायिक आदेश। सत्र न्यायालय ने श्री को खारिज कर दिया।

गोपाल शेट्ये का आवेदन विचारणीय नहीं है। रुपये के मुआवजे की मांग करने वाली एक रिट याचिका। 200 न्यायिक आदेश पारित करने के लिए माननीय न्यायाधीश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी दायर किया गया था, और 5 मई 2017 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अनुलग्नक "9" के रूप में संलग्न और चिह्नित हेरितो सत्र न्यायालय और अनुलग्नक 11 10 द्वारा पारित 1 फरवरी 2017 के आदेश की एक प्रति है।

यह 5 मई 2017 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति है।

. श्री नीलेश ओझा ने 2016 के मुकदमा संख्या 471 में प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री अस्पी चिनॉय और सुश्री रजनी अय्यर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए कार्यवाही शुरू की और प्रार्थना की कि उन्हें उनके वरिष्ठ पदों से हटा दिया जाए। उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया गया और अवमानना कार्यवाही की गई

श्री नीलेश ओझा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

2. श्री नीलेश ओझा और अन्य के खिलाफ बॉम्बे बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया द्वारा शुरू की गई 2017 की उपरोक्त आपराधिक अवमानना याचिका संख्या 3 में। , श्री नीलेश ओझा ने बॉम्बे बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के पदाधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मांग करते हुए आवेदन दायर किए, जिन्होंने आपराधिक अवमानना याचिका की पुष्टि की थी।3. भारतीय बार एसोसिएशन ने भी 23 जनवरी 2019 को महामहिम के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे पी. आर. एस. ई. सी./ई./2019/01530 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ माननीय न्यायमूर्ति के. के. टाटेड थे।

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. पी. कोलाबावाला और माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. जे. जामदार को कुछ न्यायिक आदेश पारित करने के लिए धन्यवाद। उक्त शिकायत पर श्री विजय कुर्ले ने हस्ताक्षर किए थे। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने स्थायी समिति के एक प्रस्ताव के अनुसार उक्त शिकायत का जवाब दिया और इसे महामहिम के सचिवालय को भेज दिया, जिससे सही बात का पता चला।

तथ्यात्मक दृष्टिकोण।

उक्त शिकायत की एक प्रति और 29 जनवरी का अभ्यावेदन 2019 बॉम्बे बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए अनुबंध "11" में संलग्न हैं।

और यहाँ "12" है।

इन आरईः एम. आर. मैथ्यूज नेदुमपारा

3.14 . बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के पास यह मानने का कारण है कि श्री नीलेश ओझा और श्री मैथ्यूज नेदुमपारा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री नीलेश ओझा और उनके सहयोगियों के विभिन्न कृत्यों के परिणामस्वरूप शुरू की गई 2017 की आपराधिक अवमानना याचिका संख्या 3 में, श्री मैथ्यूज नेदुमपारा एक दावेदार के लिए पेश हुए। इसी तरह, माननीय न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला के खिलाफ श्री मैथ्यूज नेदुमपारा द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका (एल) संख्या 180 में आरोप लगाया गया है कि

" न्यायिक मानहानि "और मुआवजे की मांग करते हुए, श्री नीलेश ओझा श्री मैथ्यूज नेदुमपारा की ओर से पेश हुए। जिस समय पर ये

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ द्वारा श्री मैथ्यूज नेदुमपारा को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद शिकायतें की गई हैं।

इंडियन बार एसोसिएशन की शिकायत की सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि ये शिकायतें श्री मैथ्यूज नेदुमपारा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत को डराने के लिए की गई हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़े सभी तीन बार संघों की स्थायी/प्रबंध समितियों, जिनमें बॉम्बे बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 12 मार्च 2019 के फैसले की सराहना और स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किए। भारत।

उक्त प्रस्तावों की प्रतियां यहाँ संलग्न और चिह्नित की गई हैं

अनुलग्नक "13", "14" और "15"।

4. संदर्भ के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों में लगाए गए आरोप झूठे, परेशान करने वाले और न्यायाधीशों को डराने और डराने के लिए बनाए गए हैं। आरोप न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके कार्यों के संबंध में हैं। इस तरह के न्यायिक आदेश से पीड़ित व्यक्ति का उपचार एक अपील या अन्य उचित कार्यवाही दायर करके कानूनी सहारा लेना है और एक न्यायाधीश को न्यायिक कार्यवाही में आदेश पारित करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे कोई व्यक्ति गलत या कानून के विपरीत मानता है। संसद द्वारा पारित न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 985 के प्रावधानों को देखते हुए भी यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। वास्तव में, भारतीय बार एसोसिएशन ने इस हद तक कहा है कि यह आदेश माननीय की पीठ द्वारा पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बचाने के गुप्त कारण के लिए उच्चतम न्यायालय। उक्त आरोप झूठा, निंदनीय और निंदनीय है।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संदर्भ के तहत शिकायतें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बदनाम करने, आतंकित करने और डराने-धमकाने का एक और प्रयास है। बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी ने उन माननीय न्यायाधीशों में अपना पूरा विश्वास और विश्वास व्यक्त किया है जिनके खिलाफ समय-समय पर शिकायतें की गई हैं।

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. वर्तमान शिकायतों जैसे प्रयास दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ हैं

असंतुष्ट वकीलों और पक्षों द्वारा न्यायाधीशों को आतंकित करने और डराने-धमकाने के प्रयासों ने उन्हें संकेत दिया कि वे न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक अभियान में शामिल होंगे। इन प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वे न्यायपालिका की संस्था और इसकी स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा हैं जो किसी भी न्यायपालिका की रीढ़ है।

लोकतंत्र।

7. हम अनुरोध करते हैं कि शिकायतों को जल्द से जल्द और उचित रूप से खारिज किया जाए

कार्रवाई की जाए। हम एक अन्य गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि महामहिम के सचिवालय में लंबित आवेदन का भी दुरुपयोग किया गया है और अतीत में, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इस झूठे और आधारहीन बहाने पर मुकदमा शुरू किया गया है/धमकी दी गई है कि प्रतिक्रिया का अभाव न्यायाधीशों के अभियोजन के लिए महामहिम की "मानित सहमति" के समान है। वास्तव में, द्वारा दायर की गई शिकायतें

इंडियन बार एसोसिएशन यह तर्क देना चाहता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने के लिए महामहिम द्वारा कथित रूप से "मानित सहमति" दी गई थी। इसलिए हम महामहिम से अनुरोध करते हैं कि वे उपरोक्त शिकायत को खारिज कर दें ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इस निंदनीय और निंदनीय प्रयास को विफल किया जा सके और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप को रोका जा सके।

वास्तव में आपका

-एस. डी. /

- एस.

डी. /

श्री कैवन कल्याणीवाला,

डॉ. मिलिंद साठे,

अध्यक्ष, बॉम्बे निगमित

अध्यक्ष, बॉम्बे बार एसोसिएशन

लॉ सोसाइटी

अंकित ज्ञान

उपयुक्त पीठ का गठन किया जाएगा

अवमानना मामले का फैसला करने के लिए।